न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजु मीणा)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 62/2019

1. रामकन्या पत्नि स्व. श्री भैरू बैरवा जाति बैरवा निवासी पीलोदा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित पक्षकारः– श्री महावीर गुर्जर (अधिवक्ता प्रार्थी)
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 10.09.2020

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि मौजा पिलोदा पटवार क्षेत्र रघुनाथगढ, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धांतोल तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी खाता सं. नया 31 पुराना 39 में दर्ज आराजी खसरा नं. 562/1228 रकबा 1.46 हैं0, खाता सं. नया 177 पुराना 180 में दर्ज खसरा नं. 6 रकबा 1.62 हैं0, खाता सं. नया 203 पुराना 203 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1047 रकबा 0.07, 1048 रकबा 0.01, भूमि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया का नाम रामकन्या पत्नि श्री भैरू जाति बैरवा के स्थान पर लादी पत्नि श्री भैरू जाति बैंरवा अंकित है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थीया का नाम सही दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज कर तहसीलदार भिनाय को तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र मय मौका पर्चा प्रस्तुत कर प्रार्थीया द्वारा वांछित दुरूस्ती उचित होना स्वीकार किया। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थीया अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात यथा जवाब पैरोकार सरकार, भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्का पिलोदा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत राममालिया द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, ग्राम पंचायत राममालिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र आदि का गहनता से अध्ययन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते है कि मौजा पिलोदा की जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता सं. नया 31 पुराना 39 में दर्ज आराजी खसरा नं. 562/1228 रकबा 1.46 हैं0, खाता सं. नया 177 पुराना 180 में दर्ज खसरा नं. 6 रकबा 1.62 हैं0, खाता सं. नया 203 पुराना 203 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1047 रकबा 0.07, 1048 रकबा 0.01, हैं0 भूमि में सहखातेदारी में दर्ज खातेदार लादी पत्नि भैरू कौम बैरवा के स्थान पर रामकन्या पत्नि भैरू जाति बैरवा दुरूस्त किए जाने आदेश पारित किए जाते है एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.09.2020 को सुनाया गया।

(संजु मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.10.14 11:50:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner